न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

सीन अधिकारी– | | अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
112 / प्रा0पत्र / 14	09.10.2014	22.02.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली

–प्रार्थी

बनाम

1. खाना आ0 देवीलाल जाति बलाई निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)
   - 1/1. छोटू
   - 1/2. जगन्नाथ
   - 1/3. चेतराम
   - 1/4. रामभरोस

   पि0 खाना जाति बलाई निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली
   - 1/5. कमला
   - 1/6. देव बाई

   पुत्रियां खाना जाति बलाई निवासी धोवडा तहसील हिण्डोली

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थीगण के विरूद्व–एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी खाना को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 2257/903 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 01.12.1975 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी खाना के कायम मुकामान अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 06.10.2020 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी खाना (मृतक) ने एवं उसके उत्तराधिकारियों ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी खाना (मृतक) एवं उसके वारिसों का कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2257/903 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 01.12.1975 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

…हस पेरोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया …त्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से आवंटित भूमि पर अप्रार्थी मृतक खाना एवं उसके …सान का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। अप्रार्थी मृतक खाना एवं उसके वारिसान द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना भी नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा आंवटी मृतक खाना के वारिसान को तलब किये जाने पर बावजूद सूचना के उनके उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि उनको आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आंवटी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 2257/903 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम रामनिवास तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 01.12.1975 को एतद द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर,
बून्दी (बूंदी)